

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1448/2024

दयाराम मीना

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशु पालन विभाग, जयपुर (राज.)।
3. पशु चिकित्सा अधिकारी/कार्य प्रभारित, पशु चिकित्सा अस्पताल, धोवरा, तहसील हिण्डौली, जिला बूंदी (राज.)।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.03.2024

आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एलएसए के पद पर पशु चिकित्सालय धोवडा, बूंदी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र पालडी जोड, पाली किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कार्मिक है और बिना प्रशासनिक आवश्यकता के स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के पिता कैंसर बीमारी से पीडित है, जिनका लम्बे समय से उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के

स्थान पर कोई अन्य कार्मिक को पदस्थापित किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4353/2024 सुरेश कुमार मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में अंतरिम आदेश दिनांक 13.03.2024 पारित किया। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी उक्त विधि के विपरीत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 500 कि.मी. दूर किया गया है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की वर्तमान कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुये किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एलएसए के पद पर पशु चिकित्सालय धोवडा, बूंदी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र पालडी जोड, पाली किया गया है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)